न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या 2012/00321 (15/2012) 223 आरटीएक्ट

1. मंशाराम पुत्र जीवणराम जाति जाट निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. रेवन्ताराम पुत्र बींझाराम जाति जाट निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. लिछमण पुत्र दुल्लाराम जाति जाट निवासी हरदास वाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

1/1 डूंगरराम
1/2 रामेश्वर
1/3 पूर्णराम
} पुत्रगण लिछमण पुत्र दुल्लाराम जाति जाट निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावतसर

3. कविता
4. सुमन
} पुत्रीयान बींझाराम जाति जाट निवासी हरदासवाली तहसील जिला हनुमानगढ।

5. हीरा पत्नी स्व मन्शाराम जाति जाट निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

6. सुरजा
7. धना
8. सुगनी
9. उदी
10. गुड्डी
} पि0 स्व श्रवण पुत्र हेमा जाति जाट निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

11. बिरमा

–रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी रावतसर के निर्णय दिनांक 20.03.1991 प्रकरण संख्या 243/1986 बअनवानी लिछमण बनाम स्टेट

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1/3
श्री मांगेराम गोदारा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 2

निर्णय दिनांकः—28.02.2020

1. रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने उपखण्ड अधिकारी रावतसर के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत एक वाद प्रस्तुत कियाकि वादी ग्राम हरदासवाली तहसील नोहर के ख. नं. 347/ में 20 बीघा भूमि सम्वत 2011 से पूर्व का अस्थाई काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उपनिवेशन विभाग के रिकार्ड में भी यह रकबा गैर खातेदार अंकित है। उपनिवेशन विभाग द्वारा सर्वे किये जाने पर वादी क नाम से रोही मौजा हरदासवाली में ख0 नं0 347/1 में केवल 13 बीघा भूमि गैरखातेदारी राजस्व रिकार्ड में अंकित की गई। वादी के कब्जे की शेष भूमि 7 बीघा भूमि जो ख0 नं0 347/2 में 3 बीघा 3 बिस्वा, ख. नं. 347/3 में 1 बीघा 6 बिस्वा, ख. नं. 347/4 में 3 बीघा 7 बिस्वा, कुल 7 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है जिस पर आज भी वादी के कब्जा काश्त में है। रकबा राज घोषित कर दिया वादी कब्जे के आधार पर गैर खातेदारी दर्ज करवाने का अधिकारी है। जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा 1955 से पूर्व के काश्तकार होने की उद्घोषणा कर रिकार्ड में उसके नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जिससे व्यथित हेाकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन कियाकि अपीलाण्ट संख्या 2 व रेस्पो0 3 व 4 के दादा व रेस्पो0 सं0 5 के दाद ससुर जीवन वल्द हेमा तथा रेस्पो0 6 ता 11 के पिता श्रवण पुत्र हेमा के नाम कुल 73 बीघा 3 बिस्वा भूमि थी जिसमें से हाल खसरा नं. 347/2 में 70 बीघा भूमि की खातेदारी अभिलेख में स्व0 जीवन व श्रवण के नाम दर्ज हुई शेष 3 बीघा 3 बिस्वा, भूमि को गलत रूप से आराजी राज दर्ज होने के आधार पर रेस्पो0 सं0 1 अपीलाधीन निर्णय के जरिये अपने नाम से 55 से पूर्व की उद्घोषणा कतई विधि विरूद्ध करवा ली जबकि 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि रेस्पो0 सं0 1 के कब्जे में नहीं रही ना ही आज है परन्तु विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट के पूर्व अथवा उनके वारिसान को बिना पक्षकार बनाये छिपे तौर से भूमि बाबत प्री 55 का काश्तकार होने सम्बन्धी घोषणा विधि विरूद्ध प्राप्त की है इसलिए अपीलाण्ट पीड़ित पक्षकार होने से बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी है। रेस्पो0 सं0 1 के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष जो साक्ष्य प्रस्तुत किये उससे

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रश्नगत ख0 नं0 347/22 की 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि उनकी 1955 से पूर्व की होनी सिद्ध नहीं होती है बल्कि अपीलाण्ट व रेस्पो0 सं0 3 ता 11 के पूर्वजों जीवण व श्रवण पि0 हेता के नाम ख0 नं0 347/2 की भूमि होना सिद्ध होती है और उन्हीं के कब्जा काश्त में है।

4. रेस्पो0 सं0 1 ने ख0 नं0 347 की 20 बीघा भूमि गैरखातेदारी उनके नाम अंकित होने का कथन विचारण न्यायालय में किया था तथा उपनिवेशन विभाग द्वारा खसरा नम्बर सर्वे किये जाने पर ख0 नं0 347/1 में 13 बीघा भूमि ही उनके नाम दर्ज होने का कथन करते हुए शेष बीघा को ख0 नं0 347/2 की 3 बीघा 3 बिस्वा, ख0 नं0 347/3 की 1 बीघा 6 बिस्वा, ख0 नं0 347/ में 4 बीघा 7 बिस्वा कुल 7 बीघा 16 बिस्वा स्थित होने का कथन किया परन्तु उकत कथनों के समर्थन में कोई खसरा मिलान वगैरह प्रस्तुत ही नहीं किया गया ना ही कब्जा काश्त होने सम्बन्धित कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही प्रस्तुत हुआ वैसे भी जब खसरा नं. 347 में 20 बीघा भूमि थी तो सर्वे के बाद भूमि 20 बीघा 16 बिस्वा कैसे हुई के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं था उसके बावजूद दावा वादी रेस्पो0 सं0 1 सिद्ध नहीं होते हुए भी तनकी नं. 1 ता 3 का निर्णय कतई विधि विरूद्ध किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। दावा के रोज प्रश्नगत आराजी पर कब्जा नहीं होने के कारण घोषणा का वाद कानूनन पोषणीय नहीं है। प्रश्नगत रकबा 347/2 की 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि अपीलाण्ट के व श्रवण एवं हेमा के अन्य वारिसान के कब्जा काश्त में है दिनांक 11.12.2011 को जब रेस्पो0 सं0 1 ने प्रश्नगत भूमि से कब्जा देने का जब अपीलाण्ट को कहा तो अपीलाण्ट ने उक्त भूमि अपीलाण्ट की कब्जा काश्त की ही भूमि होने से रेस्पो0 सं0 1 को कब्जा देने से इन्कार कर दिया तब रेस्पो0 नं0 1 ने बताया कि एस0डी0ओ0 नोहर से दिनांक 20.03.1991 को डिक्री उक्त भूमि को अपने पक्ष में करवा ली है जिस पर दिनांक 12.12.2011 को नोहर अभिलेखागार कार्यालय में सम्पर्क कर नकल निर्णय प्राप्त की एवं अभिभाषक से सम्पर्क किया तो उन द्वारा अन्य कागजात लाने को कहा तब दिनांक 10.01.2012 को समस्त कागजात की नकल प्राप्त कर आज बिना किसी देरी के ज्ञान से भीतर मियाद अपील प्रस्तुत कर रहा है। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया इसलिए अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान नहीं होने से अपील पूर्व में प्रस्तुत नहीं की जा सकती अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवैधानिक है जिसे कभी भी निरस्त किया जा सकता है। अपीलाण्ट एक प्रभावित एवं पीड़ित पक्षकार है इसलिए डिले कन्डोन की जाकर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

2000 आरआरसी पेज 508, 1989 आरआरडी पेज 527 डीबी, 1992 आरआरडी पेज 114, आरआरसी 2000 पेज 523 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने अपील में गलत बयानी की है। प्रश्नगत भूमि पर कभी भी अपीलाण्ट एवं उसके बुजुर्गों का कब्जा नहीं रहा है अपीलाण्ट का प्रश्नगत भूमि से कोई सरोकार नहीं है इसलिए अपीलाण्ट पीड़ित पक्षकार नहीं है। प्रश्नगत भूमि पर कब्जा काश्त लिछमण के वारिसान रेस्पोडेण्ट का है तथा लिछमण के सम्वत 2012 से पहले से ही कब्जा काश्त चली आ रही थी अब उसके वारिसान के कब्जा काश्त में शांतिपूर्व चला आ रहा है। अपीलाण्ट किसी की दृष्टि से प्रभावित एवं पीडित पक्षकार नहीं है। अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे। अपीलाण्ट द्वारा गलत तथ्य अंकित किये गये हं अपीलाण्ट ने 20 साल बाद घोर देरीना से अपील प्रस्तुत की है तथा देरी को माफ करवाने के अधिकारी नहीं है। देरी को माफ करवाने का कोई सन्तोषजनक कारण अपने प्रार्थना–पत्र में दर्ज नहीं किया है जबकि देरी को माफ करवाने के दिन प्रतिदिन की देरी का कारण देने होते हैं। अपीलाण्ट की अपील मियाद बाहर है। अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट के दोनों प्रार्थना–पत्र एवं अपील रीजनेबल ग्राउण्ड पर आधारित नहीं है मैन्टेबल नहीं हैं। ख. नं. 347/ में 20 बीघा भूमि सम्वत 2011 से पूर्व का अस्थाई काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उपनिवेशन विभाग के रिकार्ड में भी यह रकबा गैर खातेदार अंकित है। उपनिवेशन विभाग द्वारा सर्वे किये जाने पर वादी के नाम से रोही मौजा हरदासवाली में ख0 नं0 347/1 में केवल 13 बीघा भूमि गैरखातेदारी राजस्व रिकार्ड में अंकित की गई। वादी के कब्जे की शेष भूमि 7 बीघा भूमि जो ख0 नं0 347/2 में 3 बीघा 3 बिस्वा, ख. नं. 347/3 में 1 बीघा 6 बिस्वा, ख. नं. 347/4 में 3 बीघा 7 बिस्वा, कुल 7 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है जिस पर आज भी वादी के कब्जा काश्त में है। रकबा राज घोषित कर दिया वादी कब्जे के आधार पर गैर खातेदारी दर्ज करवाने का अधिकारी है जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा 1955 से पूर्व के काश्तकार होने की उद्घोषणा कर रिकार्ड में उसके नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया है जो विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. उपनिवेशन विभाग के खसरा ग्राम हरदसवाली संवत 2026 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत है जिसमें खसरा नं. 347/2 जीवण, श्रवण पि0 हैमा कौम जाट स्याग देह अंकित है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

इस दस्तावेज से स्पष्ट है कि प्रश्गनत भूमि अपीलाण्ट व रेस्पो0 सं0 3 ता 11 के पूर्वज जीवण व श्रवण की भूमि है। परन्तु रेस्पो0 सं0 1 ने अपीलाण्ट के पूर्वज अथवा उनके वारिसान को बिना पक्षकार बनाये प्रश्नगत भूमि बाबत प्री–55 का काश्तकार होने सम्बन्धित घोषणा करवा ली है। इसलिए अपीलाण्ट एक आवश्यक, पीड़ित एवं प्रभावित पक्षकार है लिहाजा अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

8. चूंकि अपीलाण्ट अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार के रूप में संयाजित नहीं था इसलिए अपीलाधीन निर्णय का उसे ज्ञान नहीं होना स्वाभाविक है। अतः अपील में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

9. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट का वाद घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का था जो स्वीकार करते हुए प्रश्नगत ख0 नं0 347/2 3 बीघा 3 बिस्वा, 347/3 की 1 बीघा 6 बिस्वा, 347/4 की 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि को वादी की सन् 1955 से पूर्व का काश्तकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये हैं। रेस्पोडेण्ट का कथन है कि प्रश्नगत आराजी उनकी प्री 55 की आराजी है। अपीलाण्ट का इस आराजी से कोई सरोकार नहीं है अपीलाण्ट ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत की है जिसका कोइ समुचित कारण कथित नहीं किया है। अपीलाण्ट का कथन है कि प्रश्नगत ख0 नं0 347 की 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि उनके 1955 से पूर्व नहीं है बल्कि अपीलाण्ट व रेस्पो0 सं0 3 ता 11 के पूर्वज जीवण व श्रवण के नाम ख0 नं0 347/2 की भूमि है। अपीलाण्ट के कथनों की पुष्टि उपनिवेशन विभाग के खसरा ग्राम हरदासवाली संवत 2026 की प्रमाणित प्रति से होती है जिसमें खसरा नं. 347/2 जीवण, श्रवण पि0 हैमा कौम जाट स्याग देह अंकित है। इस दस्तावेज से स्पष्ट है कि प्रश्गनत भूमि अपीलाण्ट व रेस्पो0 सं0 3 ता 11 के पूर्वज जीवण व श्रवण की भूमि है। रेस्पोडेण्ट ने स्व0 जीवन व श्रवण को बिना पक्षकार बनाये अपीलाधीन निर्णय पारित करवाया है जो यथावत रखे जाने योग्य है नहीं है। रेस्पोडेण्ट ने खसरा नं. 347 की 20 बीघा गैर खातेदारी उनके नाम अंकित होने का कथन किया था तथा उपनिवेशन विभाग द्वारा ख0 नं. सर्वे किये जाने पर ख0 नं0 347/1 में 13 बीघा भूमि ही उनके नाम दर्ज होने का कथन करते हुए शेष 7 बीघा भूमि को ख0 नं0 347/2 की 3 बीघा 3 बिस्वा, ख0 नं0 347/3 की 1 बीघा 3 बिस्वा, ख0 नं0 347/24 की 3 बीघा 7 बिस्वा कुल 7 बीघा 16 बिस्वा स्थित होने का कथन किया है। जब ख0 नं0 347/ में 20 बीघा भूम थी तो सर्वे के बाद भूमि 20 बीघा 16

राजस्व अपील आधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

बिस्वा कैसे हुई इस सम्बन्ध में साक्ष्य लिया जाना अपेक्षित है। यह तथ्य मिलान क्षेत्रफल से ही स्पष्ट हो सकता है। **चूंकि प्रश्नगत भूमि जीवन व श्रवण के नाम रिकार्ड में दर्ज है जो कि अपीलाण्ट के पूर्वज हैं उन्हें वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है उनके हक हिस्से की भूमि रेस्पो0 ने अपने नाम दर्ज करवाली है इसलिए अपीलाण्ट एक आवश्यक, पीड़ित और प्रभावित पक्षकार है।** लिहाजा अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है कि उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.03.1991 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित असर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.04.2020 को उपस्थित हों। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

11. निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(आशाराम डूडीआरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.03.24 14:00:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: